न्यूज़ टुडे

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की जनगणना 2027 को मंजूरी प्रदान की

जनगणना 2027 देश की **16वीं** और स्वतंत्रता के बाद आयोजित होने वाली **8वीं** जनगणना होगी।

जनगणना 2027 के मुख्य विवरण

- **चरणबद्ध संचालन:** यह अभ्यास निम्नलिखित **दो चरणों** में होगा:
  - **अप्रैल से सितंबर 2026** तक मकान सूचीकरण और आवास गणना; तथा
  - **फरवरी 2027** तक जनसंख्या प्रगणना (Enumeration)।
- **प्रथम डिजिटल जनगणना:** मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग किया जाएगा।
- **जातिगत डेटा:** जनसंख्या प्रगणना चरण के दौरान **जातिगत डेटा** को भी दर्ज किया जाएगा।
- **नई तकनीक:** प्रक्रिया की **वास्तविक समय** की निगरानी के लिए एक समर्पित **जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली (CMMS) पोर्टल** विकसित किया गया है।
  - **सेंसस-एज़-ए-सर्विस (CaaS):** यह मंत्रालयों को स्पष्ट, मशीन द्वारा पढ़ा जा सकने वाला और कार्रवाई-योग्य प्रारूप में डेटा प्रदान करेगा।
- **सहभागिता:** जनता को **स्व-प्रगणना** का विकल्प प्रदान किया जाएगा।

भारत में जनगणना के बारे में

- **उत्पत्ति:** पहली **गैर-समकालिक जनगणना 1872** में आयोजित की गई थी।
- **आयोजक: गृह मंत्रालय** के तहत **भारत का रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय।**
- **वैधानिक अधिदेश (Statutory Mandate): जनगणना अधिनियम,** जिसे **1948** में अधिनियमित किया गया था। यह जनगणना के संचालन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
- **मानदंड:** एकत्र किए गए डेटा में **जनसांख्यिकी, आवास की स्थिति, धर्म और साक्षरता** सहित विभिन्न मानदंड शामिल होते हैं। गांव या वार्ड स्तर तक सूक्ष्म-स्तर का डेटा प्राप्त किया जाता है।
- **पिछली जनगणना:** विगत जनगणना **2011** में की गई थी। **2021** की जनगणना को कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था।

लोक सभा में "कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत/AMRUT)" पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

इस रिपोर्ट में **अमृत मिशन के क्रियान्वयन** के दौरान सामने आई **प्रमुख चुनौतियों को रेखांकित** किया गया है। साथ ही, इस मिशन को और **अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें** की गई हैं।

अमृत मिशन के बारे में

- **क्रियान्वयन मंत्रालय:** केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
- **योजना का प्रकार:** केन्द्र प्रायोजित योजना
- **योजना का उद्देश्य:** चयनित शहरों एवं कस्बों में **जलापूर्ति, सीवरेज एवं सेप्टेज प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, हरित क्षेत्र एवं पार्क, गैर-मोटर चालित शहरी परिवहन** के लिए **मूलभूत शहरी अवसंरचनाओं का विकास।**

अमृत मिशन के क्रियान्वयन में मुख्य चुनौतियां एवं सिफारिशें

विषय-क्षेत्र	मुख्य चुनौतियां	सिफारिशें
वित्त-पोषण एवं वित्तीय क्षमता	✓ अवसंरचना के लिए **अपर्याप्त वित्तपोषण;** ✓ अवसंरचनाओं के **संचालन एवं रखरखाव के लिए निधि की कमी** तथा **वैकल्पिक वित्तीय स्रोतों की कमी।**	✓ विशेषकर पिछड़े/कम सेवा-प्राप्त क्षेत्रों में **केन्द्रीय एवं बहुपक्षीय वित्तीय सहायता** को बढ़ाया जाए। ✓ **सार्वजनिक–निजी भागीदारी (PPP)** और **नगरपालिका बांड (म्युनिसिपल बॉण्ड)** जैसे नए वित्त-पोषण स्रोतों का उपयोग किया जाए।
कार्यान्वयन एवं संस्थागत ढांचा	✓ **क्रियान्वयन की धीमी गति: अमृत 2.0** के अंतर्गत 1.90 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत की गईं, किंतु केवल **लगभग 48,050 करोड़ रुपये की अवसंरचनाएं** ही पूरी हो पाई हैं। ✓ **शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) की सीमित भूमिका:** मिशन के कार्यान्वयन में अर्ध-सरकारी संस्थाओं का वर्चस्व रहा है। ✓ **एकीकृत जल प्रबंधन एवं दीर्घकालिक रणनीति** का अभाव है।	✓ **शहरी स्थानीय निकायों की संस्थागत एवं तकनीकी क्षमता निर्माण हेतु एक राष्ट्रीय रोडमैप** तैयार किया जाए। ✓ **सभी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा शहरी जल कार्य-योजना (City Water Action Plans: CWAPs)** का 100% प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित किया जाए। ✓ **दीर्घकालिक योजना-बनाना:** अगले **25–30 वर्षों** के लिए शहरी पेयजल मांग का **राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत आकलन एवं पूर्वानुमान** शीघ्र कराया जाए। ✓ विभिन्न केंद्रीय **योजनाओं के बीच समन्वय (convergence)** को सख्ती से लागू किया जाए।
तकनीकी, परिचालन एवं निगरानी से जुड़े मुद्दे	✓ जलापूर्ति वाले क्षेत्र, जलापूर्ति प्रणाली में होने वाले नुकसान **(नॉन-रेवेन्यू वाटर), वाटर मीटरिंग** एवं अपशिष्ट जल के पुन:उपयोग से संबंधित **डेटा को सही तरीके से प्रस्तुत** नहीं किया जा रहा है। ✓ **अपशिष्ट जल (सीवेज) का बड़ा हिस्सा अनुपचारित:** शहरी भारत में कुल सीवेज उत्पादन लगभग 48,004 मिलियन लीटर दैनिक (MLD) था जबकि स्थापित उपचार क्षमता लगभग 30,001 MLD (2021) थी।	✓ **राष्ट्रीय शहरी अपशिष्ट जल पुन:उपयोग नीति** तैयार की जाए। ✓ **अपशिष्ट जल उपचार क्षमता** बढ़ाई जाए एवं इसके **पुन:उपयोग को प्रोत्साहन** दिया जाए। ✓ **जलापूर्ति प्रणाली में होने वाले नुकसान (नॉन-रेवेन्यू वाटर) में कमी** के लिए प्रोत्साहन व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा **स्मार्ट मीटरिंग की स्थापना** में तेजी लाई जाए।

UNEA-7 में भारत के वनाग्नि से संबंधित एक संकल्प को अपनाया गया

नैरोबी (केन्या) में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का 7वां सत्र (UNEA-7) संपन्न हुआ। इस सत्र में भारत के **'वनाग्नि के वैश्विक प्रबंधन को मजबूत करना'** (Strengthening the Global Management of Wildfires) शीर्षक से एक संकल्प को अपनाया गया है।

- इस संकल्प का उद्देश्य **वनाग्नि के प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वित कार्रवाई को मजबूत** करना है।
- UNEA-7 में कुल **11 संकल्प** पारित किए गए हैं। इनमें **प्रवाल भित्तियों** (coral reefs), **रोगाणुरोधी प्रतिरोध** (antimicrobial resistance), **हिमांकमंडल** (cryosphere), **रसायन, अपशिष्ट** आदि से संबंधित संकल्प शामिल हैं।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने **'स्प्रेडिंग लाइक वाइल्डफायर'** शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में यह चेतावनी दी गई है कि यदि मौजूदा रुझान जारी रहे, तो **2100 तक वनाग्नि में 50% की वृद्धि** हो सकती है।

भारत के संकल्प के प्रमुख बिंदु

- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना:** पूर्व-चेतावनी प्रणालियों, जोखिम आकलन, उपग्रह व भूमि आधारित निगरानी प्रणालियों और सामुदायिक चेतावनी तंत्र का विकास करना चाहिए।
- **क्षेत्रीय और वैश्विक सहयोग में वृद्धि:** वनाग्नि रोकथाम, प्रतिक्रिया के बाद पुनर्प्राप्ति और पारिस्थितिकी-तंत्र की बहाली का समर्थन करने वाले तंत्रों का विकास करना चाहिए।
- **ज्ञान साझाकरण और क्षमता निर्माण:** सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रशिक्षण एवं कार्यक्रमों के लिए मंचों का निर्माण करना चाहिए।
- **राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्य योजनाओं के लिए समर्थन:** एकीकृत आगजनी प्रबंधन और वनाग्नि से निपटने की अनुकूलन रणनीतियों के लिए सहायता उपलब्ध करानी चाहिए।
- **वित्त तक पहुंच को सुगम बनाना:** बहुपक्षीय और परिणाम-आधारित वित्त-पोषण के लिए परियोजना तैयारी में मदद करनी चाहिए।

भारत में वनाग्नि की वर्तमान स्थिति

- **भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR), 2019** के अनुसार, देश के **36% से अधिक वन** बार-बार वनाग्नि की चपेट में आते हैं, **लगभग 4% अत्यधिक वनाग्नि प्रवण** हैं, और **6% बहुत अधिक अग्नि-प्रवण** पाए गए हैं।
- **उपग्रह-आधारित रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकी और GIS उपकरण** (जैसे- MODIS सेंसर एवं SNPP-VIIRS) वनाग्नि की बेहतर रोकथाम व प्रबंधन में प्रभावी रहे हैं।
  - MODIS: मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो-रेडियोमीटर।
  - SNPP-VIIRS: सुओमी-नेशनल पोलर-ऑर्बिटिंग पार्टनरशिप- विजिबल इन्फ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर सूट।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA) के बारे में

- **मुख्यालय:** नैरोबी (केन्या)।
- **स्थापना:** इसे **2012 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन** में स्थापित किया गया था।
- **भूमिकाएं और कार्य:**
  - यह पर्यावरण से संबंधित मामलों पर **सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय** है।
  - यह **वैश्विक पर्यावरण एजेंडा निर्धारित** करता है; **नीतिगत मार्गदर्शन** प्रदान करता है तथा विश्व में उभरती पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए **नीतिगत प्रतिक्रियाओं को परिभाषित** करता है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने "सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (SHANTI)" विधेयक को मंजूरी दी

शांति/SHANTI विधेयक 2025 का उद्देश्य **परमाणु विद्युत उत्पादन में विनियमित रूप में निजी क्षेत्र को प्रवेश देना** है।

SHANTI विधेयक 2025 की प्रमुख विशेषताएं

- **परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र की भागीदारी को मंजूरी:** परमाणु ऊर्जा क्षेत्र की **मूल्य-श्रृंखला (वैल्यू चेन) के सभी चरणों में निजी कंपनियों को प्रवेश देने का प्रस्ताव** किया गया है। इससे भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास में **परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) का विशिष्ट एकाधिकार समाप्त** होगा।
- **एकीकृत कानूनी ढांचा:** परमाणु ऊर्जा के विकास से जुड़े वर्तमान कानूनों को **एक ही विस्तृत अधिनियम में समाहित** किया जाएगा। इससे **विनियामकीय स्पष्टता** बढ़ेगी और **निवेशकों का विश्वास** मजबूत होगा।

भारत में परमाणु ऊर्जा विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी का महत्व

- **संसाधन जुटाने में सहायता मिलेगी:** निजी क्षेत्र की भागीदारी से **पूंजी की उपलब्धता** बढ़ेगी तथा **देश एवं विदेश से निवेश आकर्षित** होगा। इससे **वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट की परमाणु ऊर्जा क्षमता** प्राप्त करने के दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा।
- **प्रौद्योगिकी में नवाचार (इनोवेशन) को बढ़ावा मिलेगा:** निजी क्षेत्र के प्रवेश से **स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs), मॉड्यूलर रिएक्टर डिज़ाइन** और आधुनिक सुरक्षा प्रणालियों जैसी **अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने में तेजी** आएगी।
- **ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी:** निजी क्षेत्र की भागीदारी से **परमाणु ऊर्जा उत्पादन, संयंत्र विनिर्माण और आपूर्ति-शृंखला को बढ़ावा मिलेगा** तथा **जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम** होगी।

निजी क्षेत्र की भागीदारी से जुड़ी चुनौतियां

- **रिएक्टर की सुरक्षा एवं दुर्घटना के दायित्व से संबंधित मुद्दे:** **'परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम (CLNDA), 2010'** के तहत परमाणु ऊर्जा रिएक्टर की दुर्घटना की क्षतिपूर्ति के संबंध में **दायित्व पर सख्त प्रावधान** हैं। इससे परमाणु ऊर्जा उपकरणों के निजी क्षेत्र के आपूर्तिकर्ता और निवेशक हतोत्साहित हो सकते हैं।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा:** परमाणु ऊर्जा उत्पादन में **अति-सुरक्षित पदार्थों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग** किया जाता है। इसमें निजी क्षेत्र को भागीदार बनाने से पहले कड़े सुरक्षा उपायों तथा आपूर्ति श्रृंखला (ट्रेसेब्लिटी) पर गहन निगरानी की आवश्यकता होगी।
- **दीर्घकालिक परियोजना अवधि:** परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के डिजाइन से लेकर पूर्ण होने में सामान्यतः 7 से 10 वर्ष लगते हैं। **व्यवहार्यता अंतराल निधियन (Viability Gap Funding) या जोखिम-साझेदारी तंत्र** के न होने से निवेशकों की रुचि कम हो सकती है।

दिल्ली में वायु प्रदूषण पर संसदीय पैनल ने रिपोर्ट जारी की

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन पर विभाग-संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर एक रिपोर्ट जारी की।

विषय	रिपोर्ट की मुख्य टिप्पणियां	रिपोर्ट की सिफारिशें
वायु गुणवत्ता मानक और निगरानी	✓ WHO के दिशा-निर्देश सलाहकारी प्रकृति के हैं, न कि प्रवर्तनीय। ✓ वर्तमान NAAQS (राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक) को अंतिम बार 2009 में संशोधित किया गया था।	✓ भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल मानक निर्धारित करने चाहिए। ✓ NAAQS को संशोधित करना चाहिए। ✓ सभी क्षेत्रकों में लगभग नेट-जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए।
वाहनों से उत्सर्जन	✓ प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत वाहन हैं। ✓ पुराने और प्रदूषण फ़ैलाने वाले वाहन अभी भी चल रहे हैं। ✓ इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की वाष्पशीलता (volatility) से वाष्पीकरण उत्सर्जन बढ़ता है। इससे ओज़ोन निर्माण को बढ़ावा मिलता है।	✓ PUCC (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र) प्रवर्तन को मजबूत करना चाहिए। ✓ उपयोग अवधि समाप्त हो चुके वाहनों को स्क्रैपेज के माध्यम से चरणबद्ध रीति से समाप्त करना चाहिए। ✓ वाहन द्वारा उत्सर्जन मानकों की समीक्षा करनी चाहिए।
पराली दहन	✓ शीतकाल में फसल अवशेष जलाना सर्दियों में प्रदूषण को और बढ़ाता है। ✓ दहन से इतर फसल अवशेष प्रबंधन में किसानों को समय और लागत संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ता है।	✓ खेत में और खेत के बाहर फसल अवशेष प्रबंधन को मजबूत करना चाहिए। ✓ जिला स्तर पर सख्त प्रवर्तन सुनिश्चित करना चाहिए। ✓ राज्यों के मध्य समन्वय में सुधार करना चाहिए।
औद्योगिक प्रदूषण	✓ कुछ उद्योगों में अस्वच्छ ईंधन का उपयोग जारी है। ✓ लघु और असंगठित इकाइयों की निगरानी कमजोर है। ✓ कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र वायु प्रदूषण में योगदान करते हैं।	✓ उद्योगों में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। ✓ प्राकृतिक गैस को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। ✓ जो इकाइयां नियमों का अनुपालन नहीं करती हैं, उन्हें बंद करना चाहिए। ✓ पेट कोक जैसे अवैध ईंधनों पर अंकुश लगाना चाहिए। ✓ ऑनलाइन निरंतर उत्सर्जन निगरानी प्रणालियों का विस्तार करना चाहिए।
दिल्ली में वनीकरण	✓ दिल्ली के कुल क्षेत्रफल का केवल 13% ही वन क्षेत्र है। ✓ वन क्षेत्र में आक्रामक प्रजातियों की उपस्थिति पारिस्थितिक मूल्य को कम करती है।	✓ वनीकरण को महत्वपूर्ण सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में मान्यता देनी चाहिए। ✓ मियावाकी पद्धति अपनानी चाहिए। ▪ मियावाकी विधि सीमित क्षेत्र में हरित आवरण को बढ़ावा देती है। ✓ आक्रामक प्रजातियों को हटाकर देशज प्रजातियों को बढ़ावा देना चाहिए।

अन्य सुर्खियां

पैक्स सिलिका पहल

'पैक्स सिलिका' **संयुक्त राज्य अमेरिका की नई महत्वपूर्ण खनिज विविधीकरण योजना** है। **भारत** को इस योजना से **बाहर** रखा गया है।

पैक्स सिलिका पहल के बारे में

- यह **संयुक्त राज्य अमेरिका** के नेतृत्व वाली एक **रणनीतिक पहल** है। इसका उद्देश्य एक **सुरक्षित, समृद्ध एवं नवाचार-संचालित सिलिकॉन आपूर्ति श्रृंखला** बनाना है। इसमें **महत्वपूर्ण खनिज और ऊर्जा इनपुट से लेकर उन्नत विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, AI अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स** तक शामिल होंगे।
- **लक्ष्य:** निर्भरताओं को कम करना। साथ ही, यह सुनिश्चित करना कि संबंधित राष्ट्र परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियों को बड़े पैमाने पर विकसित और उपयोग कर सकें।
- **सदस्य:** जापान, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, इज़रायल, संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया।

राष्ट्रीय मखाना बोर्ड

हाल ही में, **राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की पहली बैठक** आयोजित की गई। इस बैठक में **मखाना क्षेत्रक के समग्र विकास के लिए ₹476 करोड़ की एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना** शुरू की गई।

- साथ ही, **अनुसंधान, गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन, मूल्य संवर्धन और निर्यात प्रोत्साहन** के लिए एक रोडमैप को भी मंजूरी दी गई।

राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के बारे में

- **मंत्रालय: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय** के अधीन है।
- **लक्ष्य:** मखाना क्षेत्रक के **मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग और वैश्विक स्थिति को बढ़ावा** देना।
- **अवस्थिति:** बिहार।
- **उद्देश्य:** किसानों की आय में सुधार करना तथा वैज्ञानिक खेती, तालाबों से निकालने के बाद के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना।

IFAD

भारत सरकार ने **अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD)–भारत दिवस पर ग्रामीण परिवर्तन और विकास नेतृत्व** पर प्रकाश डाला।

IFAD के बारे में

- **मुख्यालय: रोम** (इटली)।
- **संयुक्त राष्ट्र विशेष एजेंसी:** IFAD एक **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान** और संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है। यह **ग्रामीण गरीबी और भुखमरी को समाप्त** करने के प्रति समर्पित है।
- **लघु जोत पर ध्यान:** यह वित्त, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी के माध्यम से **लघु जोत वाले किसानों, चरवाहों एवं ग्रामीण उद्यमियों का समर्थन** करता है।
- **ग्रामीण विकास वित्त-पोषण:** यह **कृषि, जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन, मूल्य-श्रृंखला विकास और आजीविका विविधीकरण** के लिए ऋण एवं अनुदान प्रदान करता है।

राज्यों में असमान डिजिटल प्रगति

हाल ही में, **ICRIER-Prosus सेंटर** ने एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट **भारतीय राज्यों में डिजिटलीकरण में महत्वपूर्ण असमानताओं** को उजागर करती है। इनमें से कुछ राज्य तेजी से प्रगति कर रहे हैं, जबकि अन्य पीछे छूट रहे हैं।

- **ICRIER:** अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद।
- **Prosus यूरोप की एक कंपनी है।**

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- यह रिपोर्ट **उप-राष्ट्रीय स्तर पर असमान डिजिटल परिवर्तन** को उजागर करती है। इसमें राज्य विभिन्न गति से प्रगति कर रहे हैं।
- डिजिटलीकरण स्कोर में **दिल्ली शीर्ष** पर है। इसके बाद **केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा** हैं।
- **झारखंड** जैसे राज्य बहुत नीचे हैं। यह असामनता डिजिटलीकरण में **राज्यों के मध्य व्यापक अंतर** को दर्शाती है।
- यदि पिछड़े राज्य गति नहीं पकड़ पाते हैं, तो भारत के महत्वाकांक्षी **डिजिटल भारत** लक्ष्यों को समय पर पूरा करने में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

मेवेन (MAVEN) अंतरिक्ष यान

NASA का **मंगल की कक्षा में मौजूद मेवेन अंतरिक्ष यान** से संपर्क टूट गया।

MAVEN (मार्स अट्मॉस्फियर एंड वोलेटाइल एवोल्यूशन) अंतरिक्ष यान के बारे में

- **प्रक्षेपण:** वर्ष 2013 में NASA द्वारा प्रक्षेपित किया गया था।
- **उद्देश्य:** मंगल के **ऊपरी वायुमंडल व आयनोस्फीयर और सूर्य एवं सौर पवनों के साथ इनकी अभिक्रिया** का पता लगाना। इससे **मंगल के वायुमंडल के अंतरिक्ष में लुप्त होने का पता लगाया** जा सकेगा।

कोलसेतु नीति (CoalSETU Policy)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **निर्बाध, कुशल और पारदर्शी उपयोग के लिए कोयला लिंकेज (कोलसेतु/ CoalSETU) की नीलामी नीति** को मंजूरी प्रदान की।

कोलसेतु नीति के बारे में:

- यह **2016 की गैर-विनियमित क्षेत्रक (NRS) लिंकेज नीलामी नीति** के तहत कोयले के लिए एक नई नीलामी विंडो बनाती है।
- **उद्देश्य:** किसी भी तरह के औद्योगिक उपयोग और निर्यात के लिए नीलामी के आधार पर कोयला लिंकेज का **दीर्घकालिक आवंटन** करने की अनुमति प्रदान करना।
- **अपवाद:** कोकिंग कोयले को इस विंडो के तहत प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।
- **भागीदारी:** कोयले की आवश्यकता वाला कोई भी **घरेलू खरीदार** लिंकेज नीलामी में भाग ले सकता है।
  - **व्यापारियों** को इस विंडो के तहत बोली लगाने की अनुमति **नहीं** है।
- **प्राप्त कोयले का उपयोग:**
  - खरीदार द्वारा स्वयं उपभोग।
  - कोयले का निर्यात (लिंकेज मात्रा का 50% तक)।
  - कोयला धुलाई या नीति के तहत अनुमत अन्य उद्देश्य।
  - **अपवाद:** देश में **पुनर्विक्रय (Resale)** की अनुमति **नहीं** है।

प्रीह विहियर मंदिर

थाईलैंड-कंबोडिया सीमा संघर्ष के बीच भारत ने **प्रीह विहियर मंदिर** की सुरक्षा का आह्वान किया।

प्रीह विहियर मंदिर के बारे में

- **अवस्थिति: कंबोडिया** में (थाईलैंड से सटी सीमा के निकट)।
- **प्रधान देवता:** यह मंदिर **भगवान शिव** को समर्पित है।
- **इतिहास:** इस मंदिर का निर्माण **खमेर राजवंश** के राजा **यशोवर्मन प्रथम (889–910 ईस्वी)** ने आरंभ कराया था तथा राजा **सूर्यवर्मन द्वितीय (1113–1150 ईस्वी)** के शासनकाल के दौरान इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था।
- यह एक **यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल** है।

PMGKY पैकेज: स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना

उच्चतम न्यायालय ने **"प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पैकेज: कोविड-19 से लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना"** के तहत कोविड ड्यूटी में जान गंवाने वाले सभी चिकित्सकों को **₹50 लाख के बीमा के दायरे अंतर्गत लाने** का निर्देश दिया।

"प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पैकेज: कोविड-19 से लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना" के बारे में

- **उद्देश्य:** कोविड-19 ड्यूटी में लगे स्वास्थ्य कर्मियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना।
- **कार्यान्वयन मंत्रालय:** स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
- **बीमा कवरेज:** प्रति लाभार्थी ₹50 लाख का दुर्घटना बीमा कवर।
- **कवरेज का दायरा:**
  - ड्यूटी के दौरान कोविड-19 संक्रमण के कारण मृत्यु; तथा
  - कोविड-19 से संबंधित ड्यूटी करते समय आकस्मिक मृत्यु।
- **लाभार्थी:** डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिक्स और सहायक कर्मचारियों सहित कोविड-19 ड्यूटी में प्रत्यक्ष रूप से शामिल स्वास्थ्य सेवा कर्मी।